बाबूलाल बनाम मुकेश सन् 31/2021

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2/7/21

पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट दिनांक 11.02.2020 से आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। दर्ज रजिस्टर की जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री सौरभ आर्य उपस्थित। उनके द्वारा अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की प्रमाणित फर्द अहकाम दिनांक 24.12.2019 से अन्दर मियाद पेश की गई।

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी दिनांक 18.02.2020 तक विवादित आ0ख0नं0 1246, 1321, 1332, 1395, 1493, 1494, 1496 वाके ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मणगढ में सायल के कब्जेकाश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करने एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 1246 रकबा 0.2000 है0, 1321 रकबा 0.8000 है0ए 1332 रकबा 0.5400है0, 1395 रकबा 0.1800 है0, 1493 रकबा 0.5900, 1494 रकबा 0.57 है0ए 1496 रकबा 0. 6300 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.5100 है0 वाके ग्राम मलावली, तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सगे भाई है जिस आराजी में वादी का 1/8 भाग तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का है। आराजी का वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। आराजी का आज तक वादी व प्रतिवादीगण के बीच कोई घरेलू व कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से वादी के प्रति प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई और वह ऐनकेन प्रकारेण से वादी को बेदखल कर खुद कब्जा करने की जुस्तजु में है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 24.12.19 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के साथ अदालत मातहत के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस में अपील के अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये ही एकपक्षीय रूप से सुनवाई कर पारित किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। आलोच्य आदेश कतई अवैधानिक व अगेन्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटीएण्ड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ की फर्द अहकाम दिनांक 24.12.19 के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के आदेशिका आदेश दिनांक 24.12.19 के विरूद्ध पेश की गई है।

मननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्व पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा दिनांक 24.12.19 को अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सायल कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करने एवं मौके व रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखने से पाबंद किया जाकर अप्रार्थीगण को 18.02.20 को नोटिस से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। दिनांक 18.02.20 को स्थगन आदेश की अवधि अप्रार्थीगण सं0 4 की तलबी 02.03.21 तक ही बढाई गई है। इसके बाद आदेशिका में विवादित आदेश की अवधि नहीं बढाई गई है।

चूंकि वर्तमान में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशिका के अनुसार अस्तित्व में नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्राावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।